International Journal of Advanced Research and Development
ISSN: 2455-4030
Impact Factor: RJIF 5.24
www.advancedjournal.com
Volume 3; Issue 2; March 2018; Page No. 1469-1471

महिला व कमजोर वर्ग को सशक्त बनाने में शिक्षा का योगदान

डॉ. राजेश कुमार
एम.ए. (हिन्दी, पत्रकारिता, शिक्षा, अंग्रेजी), बी.एड., पीएच.डी. (हिन्दी, एजूकेशन) एसोसिएट प्रोफेसर, एन.आई.आई.एल.एम. विश्वविद्यालय, कैथल (हरियाणा), भारत।

प्रस्तावना

शिक्षा का वास्तविक अर्थ मानव के संतुलित विकास में निहित है अर्थात् जिससे मानव का शारिरिक, मानसिक, भौतिक एवं नैतिक शक्तियों का विकास होता है, उसे शिक्षा कहा जाता है। यह निःसंदेह सत्य है कि महिला या स्त्री शिक्षा मानव कल्याण तथा मानव उत्थान हेतू अधिक महत्वपूर्ण व आवश्यक है। शिक्षा मानव जीवन का प्रमुख अंग है। शिक्षा व्यक्ति की जन्मजात शक्तियों के स्वाभाविक और सामजंस्यपूर्ण विकास में योगदान देती है। उसकी व्यक्तिकता का पूर्ण विकास करती है, उसे अपने वातावरण में सामजंस्य स्थापित करने में सक्रिय सहयोग देती है।

शिक्षा के संदर्भ में एडमस ने लिखा है, ''शिक्षा एक ऐसी सुनियोजित प्रक्रिया है, जिससे एक व्यक्ति का विकास करने के लिए उस पर दूसरे व्यक्तित्व का मन, वाणी, कार्य के द्वारा प्रभाव पड़ता है। व्यापक अर्थों में शिक्षा की बात करे तो यह एक ऐसी विशाल प्रक्रिया है। जिसका आम जीवन पर्याप्त चलता है। इसके द्वारा मानव अपने को प्राकृतिक सामाजिक एवं अत्याधिक परिस्थितियों के अनुकूल बनाता है।''

शिक्षा मानव का साध्य नहीं अपितु साधन है। शिक्षा के द्वारा मानव निरन्तर उत्कृष्टता के सोपानों पर चढ़ता जाता है। भारतीय समाज में स्त्रियों की स्थिति पर विचार करने के लिए गठित राष्ट्रीय समिति ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि,'' किसी भी मानव समाज में महिलाओं की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है और कोई भी इसे नजर अंदाज नहीं कर सकती। स्त्रियां राष्ट्र के विकास के लिए उतना ही महत्व रखती है, जितना उस देश के खनिज प्रदार्थों, वहाँ की नदियों और खेतीबाड़ी का है। स्त्रियों की शक्तियों का समुचित उपयोग करने और उनका सही नियन्त्रण करने पर लेकिन साथ ही उनके साथ आदर का व्यवहार करने पर वे ऐसी महान और प्रबल शक्ति का रूप लेती है। जिसका राष्ट्र के लाभ और उसके विकास के लिए उपयोग किया जा सकता है।''

महिला शिक्षा के संदर्भ में विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग 1948 के ये ऐतिहासिक शब्द ध्यान देने योग्य है कि, ''शिक्षित महिला के बिना शिक्षित पुरुष नहीं हो सकता। यदि पुरुषों और स्त्रियों में से केवल किसी एक के लिए सामान्य शिक्षा का प्रावधान करना है तो वह अवसर स्त्रियों को दिया जाना चाहिए क्योंकि तब तक वह शिक्षा स्वयंमेव अगली पीढ़ी को प्राप्त हो जाएगी।

विशेष शब्दः

महिला सशक्तिकरण

स्वाधीनता के पश्चात् सरकारों, महिला संगठनों और महिला आयोग आदि के प्रयासों से महिलाओं के लिए विकास के द्वार खुले। महिलाओं में शिक्षा का प्रसार हुआ जिसके कारण उनमें आत्मविश्वास में वृद्धि हुई। इसी के फलस्वरूप, आज भारतीय प्रशासकीय सेवा, भारतीय पुलिस सेवा, स्थल सेवा, वायु सेना, नौ सेना, सीमा सुरक्षा बल, ठैच्द्ध राज्य पुलिस बल आदि के साथ–साथ राजनीति, सामाजिक सेवा, शिक्षा, पत्रकारिता साहित्य, उद्योग, विज्ञान, तकनीकी आदि विभिन्न क्षेत्रों में पुरूषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही है। एक और का यह परिदृश्य अत्यंत सुखद एवं उत्साहजनक लगता है तो दूसरी और इसका दुखद एवं धातक पहलू यह है कि अभी भी बड़ी संख्या में महिलाएं हिंसा, गरीबी, शोषण, अन्याय तथा उत्पीडन का शिकार है। स्त्री का अस्तित्व ना केवल परिवार में बल्कि परिवार के बाहर भी कमजोर हुआ है।

महिलाओं की स्थिति के संदर्भ में एमनैस्टी इंटर नैशनल द्वारा हाल ही में प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार, भारत में लगभग 40 प्रतिशत विवाहित महिलाओं को महज इस कारण प्रताड़ित किया जाता है कि उनका बनाया भोजन या साफ–सफाई का काम पंसद नहीं आता। इन यातनाओं का प्रभाव उनके मानसिक एवं शारीरिक स्वास्थ्य पर प्रत्यक्ष रूप से पड़ता है। सरकार ने महिलाओं के हो रहे उत्पीड़न एवं हिंसा को रोकने हेतु अनेक कानून बनाने के इलावा महिला सशक्तिकरण आंदोलन आरम्भ करके संवैधानिक सुरक्षा के साथ–साथ एक कारगर संस्थागत ढांचा भी खड़ा किया है। इसी के तहत 1985 में मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अन्तर्गत महिला बाल विकास विभाग का गठन किया गया। 1992 में राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना की गई। जिसने महिला सशक्तिकरण प्रक्रिया को एक नई गति व दिशा प्रदान की 1993 में राष्ट्रीय महिला कोष का भी गठन किया गया।

महिला विकास कार्यक्रम

महिलाओं के विकास एवं सशक्तिकरण के लिए केन्द्र सरकार द्वारा अनके योजनाओं का आरंभ किया गयाः

1 स्टैपः महिलाओं को रोजगार व प्रशिक्षण के लिए सहायता देने का कार्यक्रम स्टैप वर्ष 1986–87 में केन्द्रीय क्षेत्र की योजना के रूप में शुरू किया गया। इसका उददेश्य परम्परागत क्षेत्रों में महिलाओं में कौशल में सुधार तथा परियोजना आधार पर रोजगार उपलब्ध कराकर महिलाओं की स्थिति में महत्वपूर्ण सुधार करना है।

2 स्वावलम्बनः स्वावलम्बन कार्यक्रम जिसे पहले नोराड 1 महिला आर्थिक कार्यक्रम के नाम से जाना जाता था। 1982–83 में सम्पूर्ण देश में आरम्भ किया गया। इसका उद्देश्य महिलाओं को परम्परागत

और गैर परम्परागत धंधों का प्रशिक्षण और कौशल उपलब्ध कराकर उन्हे टिका आधार पर रोजगार/स्वरोजगार प्राप्त करने में मदद करता है।

3 स्वयंसिद्धः स्वयंसिद्ध महिलाओं के विकास और सशक्तिकरण की समन्वित योजना है। यह महिलाओं को स्व–साधना समूहों में संगठित करने पर आधारित और इसमें सेवाओं के समन्वय तथा अल्प ऋण उपलब्ध कराने और बहुत–बहुत छोटे उपक्रमों को बढ़ावा देने पर विशेष बल दिया जाता है।

4 स्व–शक्तिः ग्रामीण महिलाओं के विकास को स्व–शक्ति नाम केन्द्र प्रायोजित करता है। यह परियोजना विश्व बैंक और अन्तर्राष्ट्रीय कृषि विकास के सहयोग से संचालित की जाती है।

5 स्त्रीशक्ति पुरस्कारः वर्ष 1999 में आरंभ किए गए ये पुरस्कार भारत की पांच महा – यशस्विनी नारियों के नाम पर प्रदान किये जाते है। किंतु माता जीजा बाई, देवी अहिल्याबाई होल्कार, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई और रानी गॉडिनल्यू ये पुरस्कार प्रति वर्ष ही मार्च को अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य पर दिये जाते है।

महिलाओं को 50 प्रतिशत आरक्षण

केन्द्रीय मंत्री मण्डल ने महिला सशक्तिकरण को यथा रूप देने के उददे्श्य से ही पंचायतों में महिलाओं के लिए आरक्षण 33ः से बढ़ाकर अब 50ः करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। यह प्रस्ताव महिलाओं का अधिकार स्वतंत्र बनाने की दिशा में ऐतिहासिक कदम उठाया है। महिलाएं आखिर देश की आबादी का आधा हिस्सा है। पंचायतों में महिलाओं की संख्या बढ़ने से आश्वस्त हुआ जा सकता है कि समय के साथ सार्वजनिक जीवन में अधिक से अधिक महिलाएं प्रवेश पाने के समय प्रभावी भूमिका भी निभा सकेगी।

(1) सभी स्तरों पर पंचायतों में नई आरक्षण व्यवस्था लागू की जाएगी। (2) एस.सी./एम. टी. आरक्षित चेयरपर्सन की सीटों व ऑफिस में भी मान्य होगी। (3) मध्यप्रदेश, बिहार, उतराखण्ड, हिमाचल में यह पहले से लागू है। राजस्थान में इसे 2010 के पंचायत चुनावों से लागु किया जाना है। (4) आरक्षण 2001 प्रतिनिधित्व के साथ शिक्षा और आत्मनिर्भरता बेहद जरूरी है। आत्मनिर्भरता का सीधा अर्थ यहाँ पर है कि महिला अपने बारे में स्वयं निर्णय लेने में स्वतन्त्र हो। महिला सशक्तिकरण के लिए शिक्षा एक बेहद महत्वपूर्ण एवं पहला कदम है। इसके अभाव में समस्त प्रयास अच्छे लक्ष्य के निर्धारण में सफल नहीं हो सकेगे। शिक्षा सही अर्थो में समाज की प्रगति एवं विकास की नींव का आधार है। नारी की शिक्षा की आवश्यकता की सत्यता को हम कदापि ठुकरा नहीं सकते हैं।

समाज की जागृति में महिलाओं की भागीदारी

हमारे समाज में महिला व कमजोर वर्ग के सामने अनेक चुनौतियां भस्मासुर की तरह मुंह खोले खड़ी है। आज की अमीर –गरीब, शहरी – ग्रामीण, अगड़ी व पिछड़ी महिलाओं की सांझी चुनौतियां है। केन्द्र सरकार शीध्र ही शादी शुदा महिलाओं को बेहतर सामाजिक सुरक्षा देने के लिए एक बीमा योजना शुरू करने की योजना बना रही है, जिससे दहेज जैसी समस्या से निपटने के साथ महिला का बेहतर भविष्य सुनिश्चित करने में भी मदद मिलेगी।

कई राज्यों में महिलाओं/बालिकाओं के संरक्षक, विकास एवं सशक्तिकरण के लिए सरकार द्वारा की गई पहल इस प्रकार से हैः (1) बालिकाओं के संरक्षण एवं घटते लिंग अनुपात में सुधार के लिए राज्य में 'लाडली' जथा 'लाडली सामाजिक सुरक्षा पैंशन योजना' लागू। (2) बालिकाओं की उच्च शिक्षा हेतु बैंक की ब्याज दर में 5ः सबसीडी सहित आसान ऋण योजना लागू। (3) प्रत्येक गांव में चरणबद्ध तरीके से 'महिला शक्ति सदन' निर्माण करने की योजना। (4) आंगनबाडी कार्यकर्त्ताओं व हैल्परों के कल्याण हेतु सुरक्षित भविष्य योजना का निर्धारण। (5) आई.सी.डी.एस. कार्यक्रम का विकेन्द्रीकरण तथा समुदाय द्वारा संचालन। महिलाओं तथा बच्चों की योजना की देख–रेख के लिए 6150 ग्राम स्तरीय महिला समितियां गठित। (6) आंगनबाडी केन्द्रों में लाभ पात्रों के लिए पोषाहार प्रदान करने हेतु महिला स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से पूरक पोषाहार कार्यक्रम लागू। जिसे 15000 ग्रामीण महिलाओं को रोजगार प्राप्त। (7) ग्राम पंचायत की सहायता के लिए प्रत्यके गांव में शिक्षित महिलाओं के 'साक्षर महिला समूह' (एस.एम.एस.) का गठन लगभग 6000 साक्षर महिला समूहों का बतौर रजिस्टर्ड समिति गठन। (8) छोटे चरणों को बढ़ावा देने राष्ट्रीय महिला कोष द्वारा साक्षर महिला समूह को गैर – सरकारी संगठन के रूप में मान्यता। (9) किशोरी शक्ति योजना का 130 परियोजनाओं में विस्तार। (10) 'समेकित बाल विकास सेवाए' योजना का विस्तार।

शिक्षा का योगदान

निःसंदेह शिक्षा ही वह मूलमंत्र है जिसके बल पर समाज में महिला व कमजोर वर्ग को न केवल अपने अधिकार में समर्थ एवं सक्षय बनाया जा सकता है, बल्कि उसे सशक्त भी बनाया जा सकता है। यही कारण है कि किसी भी राष्ट्र की प्रोन्नति उस देश के नागरिकों के शैक्षिक स्तर, शिक्षा के आधार पर सक्षम योग्यता, शिक्षा के प्रति जागरूकता एवं शैक्षिक संस्थाओं में अनुशासन बद्धता का पालन करते हुए सामाजिक मूल्यों को बनाये रखने पर निर्भर करती है। शिक्षा वह प्रभावशाली एवं साधन सशक्त साधन है जो मानव के सामाजिक विकास में पूर्ण सहायक है। संक्षिप्त में हम शिक्षा के द्वारा समाज के कमजोर वर्ग को शक्ति सम्पन्न बनाने में किस प्रकार योगदान दे सकते है, इस प्रकार है –

(1) व्यक्ति के विकास में सहायकः शिक्षा व्यक्ति के व्यक्तित्व विकास में अत्यंत सहायक होती है। व्यक्ति के अंदर निहित गुणों को विकसित कर शिक्षा के द्वारा उन्हे दक्ष व कुशल बनाया जाता है ताकि वे सक्षय व समर्थ बनकर आत्म निर्णय ले सके। इस संदर्भ में जान डी0वी0 का यह कथन उल्लेखनीय है, '' शिक्षा व्यक्ति की उन सभी शक्तियों का विकास है, जिनसे वह अपने वातावरण पर अधिकार कर सके और भावी आशाओं को पूरा कर सके।'' वास्तव में महिला व समाज के कमजोर वर्ग को सशक्त बनाने में पहला महत्वपूर्ण कदम शिक्षा ही है।

(2) नेतृत्व क्षमता का विकासः एक सफल नेतृत्व के लिए शिक्षा के द्वारा उत्तम व्यक्तित्व, आत्मविश्वास, पक्का इरादा, साहसिक दृढ़ता जोश, शक्ति संस्कार, विचार व्यक्त करने की योग्यता एवं प्रसन्नता आदि गुण होने चाहिए जो शिक्षा के द्वारा संभव हो पाते है।

(3) आत्म निर्भरताः शिक्षा के द्वारा ही व्यक्ति में ज्ञान कौशल एवं संचार जागृत कर उसे आत्म निर्भर बनाया जा सकता है। समाज में कमजोर वर्ग एवं महिलाओं को शिक्षित कर आत्म निर्भरता की अलख जगाकर ही उन्हें सशक्त बनाया जा सकता है।

(4) व्यावसायिक कुशलता: शिक्षा के द्वारा व्यक्ति की कवियों, आवश्यकताओं एवं क्षमताओं के आधार पर व्यवसायिक शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए। आज के इस वैश्वीकरण के युग में व्यावसायिक कुशलता के बल पर ही अपना वर्चस्व एवं अस्तित्व बनाये रखा जा सकता है। शिक्षा प्रक्रिया के द्वारा व्यावसायिक निपुणता आती है।

(5) अधिकारों के प्रति जागरूकता: आधुनिक समाज में वही वर्ग अपने को परिस्थितियों के अनुसार तैयार रख पाता है जो शिक्षित एवं दीक्षित है। इसके साथ ही शिक्षा व्यक्ति को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक बनाकर उसे शोषण, अन्याय, अपराध, दबाव एवं दमन से बचाती है।

(6) शोषण एवं अन्याय के प्रति जागरूकता: शिक्षा के द्वारा मानव को शोषित होने के साथ ही अन्याय के प्रति सजग किया जाता है। जन्म तथा अन्य अनेक कारणों से उत्पन्न जातिगत एवं वर्गगत विषमताओं को दूर करते हुए शिक्षा मनुष्य को इन सबसे ऊपर उठाकर अपने अधिकार दिलाती है।

(7) दवाब व दमन पर अंकुश: शिक्षा के द्वारा ही निराश, दीन–हीन, दलित, कुंठा ग्रस्त, दबाव व दमन से जूझ रहे लोगों को स्वाभाविक के साथ अपना जीवन यापन के लिए नवीन पथ दिखाया जाता है। शिक्षा के द्वारा ज्ञान, कौशल व बुद्धि की दर जागृत होती है, जो दबाव व दमन के अंधकार को समाप्त करती है।

(8) निर्देशन व समुपदेशन: शिक्षा व्यक्ति को उसके जीवन के निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने में निर्देशन एवं समुपदेशन द्वारा सक्रिय सहयोग देती है। महिला सशक्तिकरण एवं समाज के पिछड़े वर्ग के उत्थान हेतु शिक्षा एक आवश्यक एवं महत्वपूर्ण कदम के रूप में मानी गई है।

(9) सामाजिक आर्थिक व तकनीकी चेतना: शिक्षा व्यक्ति को सामाजिक, आर्थिक मनोवैज्ञानिक, विज्ञान व तकनीकी ज्ञान प्रदान कर उसमें आत्मविश्वास के बीज अंकुरित करती हैं, जिसके द्वारा शक्ति, सम्मान, साहस, समर्थन एवं स्वाभिमान आदि गुण फलित होकर व्यक्ति की दक्षता को बढ़ाते है। आर्थिक एवं तकनीकी दृष्टि से सम्पन्न व्यक्ति समाज के लिए अनुकरणीय हो जाता है।

(10) ज्ञान एवं कौशल विकसित करना: ज्ञान व कौशल के द्वारा व्यक्ति की योग्यता, क्षमता, दक्षता, कचियों व शक्तियों को बढ़ाया जाता है। यह समाज की बदलती दक्षताओं के उसे मार्ग दर्शन भी कराती है। ज्ञान जहां सूचना या जानकारी का प्रतीक होता है, वहां कौशल तथ्यों को जानने में मदद करता है।

(11) तकनीकी ज्ञान: तकनीकी जानकारी के बिना व्यक्ति समाज में सम्मानित रूप में अपना जीवन यापन नहीं कर सकता। शिक्षा के द्वारा ही व्यक्ति तकनीकी के विविध आयामों को समझकर अपने को सामाजिक, आर्थिक, मनोवैज्ञानिक, राजनीतिक, अध्यात्मिक एवं सांस्कृतिक रूप से दक्ष बना सकता है।

(12) समानता के लिए शिक्षा: शिक्षा के द्वारा ही व्यक्ति समाज में बिना किसी भेदभाव के अपना जीवन यापन कर सकता है। शिक्षा व्यक्ति को अपने अधिकारों का ज्ञान कराकर उसके सामाजिक जीवन को समान रूप से जीने का हक दिलाती है। शिक्षा मानव का प्रेरणा स्त्रोत सामाजिक प्रतिष्ठा का सूचक होती है।

(13) आर्थिक विकास के लिए शिक्षा: किसी भी देश की प्रगति वहाँ के लोगो के आर्थिक विकास पर निर्भर करती है। आर्थिक सम्पन्नता के लिए दो चीजे जरूरी है – भौतिक संसाधन व मानव संसाधन। शिक्षा के माध्यम से ही आर्थिक विकास की प्रक्रिया को आधुनिक, सजग, सचेत, समृद्धशाली, समर्थ, सक्षम व सशक्त बनाना संभव है क्योंकि सजग नागरिक ही सजग राष्ट्र को जन्म देता है। इसी कारण शिक्षा को आर्थिक विकास का एक आधार भी माना जाता है।

(14) आधुनिकीकरण हेतु शिक्षा: शिक्षा के द्वारा ही व्यक्ति, समाज, संस्था, समूह स्वराज्य एवं स्वराष्ट्र को आधुनिक बताकर विकसित किया जा सकता है। आर्थिक सम्पन्नता, व्यावहारिक प्रणाली तथा मूल्य परिवर्तन के द्वारा आधुनिकीकरण किया जाता है, जिनके मूल में शिक्षा का सुदृढ़ होना बेहद जरूरी माना गया है। शिक्षा के द्वारा अंध विश्वास, रूढ़िवादिता और परम्परागत मूल्यों को त्याग कर आधुनिकता की और बढ़ा जा सकता है।

उपरोक्त विश्लेषण के आधार पर स्पष्ट रूप से कहा जा सकता है कि शिक्षा के द्वारा न केवल एक राष्ट्र की महिला एवं कमजोर वर्ग को सशक्त बनाया जा सकता है, बल्कि उसका सर्वांगीण विकास ही इसके द्वारा संभव है। शिक्षा सभ्य समाज का प्रतीक इसी कारण मानी जाती है कि उसमें व्यक्ति अपनी जीवन शैली का विकास अन्याय, अपराध, अनाचार दबाव, दमन, उत्पीड़न व भय आदि कुरीतियों से बचकर कर सकने की क्षमता रख पाता है। व्यक्ति स्वयं अपना निर्णय ले पाने की सक्षमता रखता है, इसी का नाम सशक्तिकरण है। जब महिला एवं कमजोर वर्ग स्वयं अपने बारे में निर्णय लेने में स्वतंत्र होकर आत्मनिर्भरता के साथ आगे बढ़ेगा, तो सशक्तिकरण स्वयं ही आ जाता है। शिक्षा के समक्ष आज अनेक चुनौतियां है किन्तु शिक्षा ही चुनौतियों का समाधान भी है।

संदर्भ

1 उदीयमान भारतीय समाज में शिक्षाः डॉ.जे.एस.वालिया।
2 माध्यमिक शिक्षा और स्कूल प्रबंधः राजीव श्रीवास्तव व अर्चना गुप्ता।
3 भारत में माध्यमिक शिक्षा का परिदृश्यः डॉ.निवेदिता, डॉ. एस. के. हुड्डा व श्रीमती कविता।
4 आधुनिक भारतीय समाज में शिक्षाः यादव व यादव।
5 शिक्षा के दार्शनिक सामाजिक और आर्थिक आधारः डॉ.के.सी. जैन, डॉ. माया मिश्रा, डॉ.राकेश संधु व डॉ. धर्मवीर।
6 आधुनिक भारतीय समाज में शिक्षाः राजीव श्रीवास्तव व अर्चना गुप्ता।
7 माध्यमिक शिक्षा व स्कूल प्रबंधः एच.एस.यादव, सुधा यादव, के. सी. जैन व एम. एम. भाटिया।